संख्या-18/2026/I/1283104/2026/001-71-4099-44-2025

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

कुलसचिव,
अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक-30.03.2026**

विषयः-अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में 1090 मीटर लम्बे एवं 09 मीटर चौड़े मार्ग के निर्माण कार्य हेतु तकनीकी समिति द्वारा परीक्षणोंपरान्त रू०247.82 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू०247.82 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1240/लेखा-बजट/अ0बि0वा0चि0वि0/2026, दिनांक-13.03.2026 एवं का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणन को संलग्न कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि रू0 250.00 लाख के सापेक्ष (विश्वविद्यालय में सी0 सी0 मार्ग के निर्माण कार्य हेतु) रू0 250.00 लाख की मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एमई/निर्माण/2025-26/618, दिनांक-25 मार्च, 2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त उक्त कार्य हेतु रू०247.82 लाख की संस्तुति की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में आय व्ययक के अनुदान संख्या-31 के लेखाशीर्षक 4210-03-105-78-मा० अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य प्राविधानित धनराशि रू० 250.00 लाख के सापेक्ष तकनीकी समिति द्वारा उक्त कार्य हेतु संस्तुत लागत रू०247.82 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू०247.82 लाख की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. आगणन में प्राविधानित मदों की मात्राओं को यथावत् मानते हुए आगणन का परीक्षण किया गया है। आगणन का परीक्षण किया गया है। मात्राओं का निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था का होगा ।
2. क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इन कार्यो हेतु प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर दरें प्राप्त कर निर्माण कार्य सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. आगणन में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 का प्रावधान किया गया है, जो नियमानुसार देय होगा।
4. आगणन में 10 प्रतिशत सेंटेज का प्रावधान किया गया है, जो नियमानुसार देय होगा।
5. आगणन में लेबर सेस नियमानुसार देय होगा।
6. आगणन में विभागीय दक्षता हेतु 5 प्रतिशत कम कर दिया गया है।
7. कार्यो में प्रयुक्त डिजाइन, सामग्री आदि हेतु कार्यदायी संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।
8. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक /डाकघर आदि में नहीं रखा जायेगा।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-27.03.2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।
10. कार्यो में प्रयुक्त डिजाइन, सामग्री आदि हेतु विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।
11. विश्वविद्यालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
12. परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से प्रयोजना की स्वीकृति से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है ।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
14. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदारी संस्था/विश्वविद्यालय के कुल सचिव /वित्त अधिकारी की होगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,47,82,000 (रुपये दो करोड़ सैंतालीस लाख बयासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031057800 मा0 अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या व तद्दिनांक: यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय ,उ0प्र0, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय ,उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3. प्रबन्ध निदेशक, कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
7. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
8. वित्त अधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
10. नोडल अधिकारी/संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।